भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2260
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

गुजरात में दिशा 2.0 योजना का कार्यान्वयन

2260. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या दिशा 2.0 के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन के लिए गुजरात के किन्हीं जिलों विशेषकर जनजातीय और आकांक्षी जिलों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ख) राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में अंतिम छोर तक न्याय तक पहुंच में सुधार लाने के लिए क्या निगरानी तंत्र बनाया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : न्याय तक समग्र सुगमता हेतु अभिनव समाधान अभिकल्पना (दिशा) 2.0 स्कीम 2026-31 तक की अवधि के लिए सम्पूर्ण भारत, जिसके अंतर्गत गुजरात के सभी जिले भी हैं, में क्रियान्वयन के लिए एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम है। दिशा 2.0 का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए विधिक सेवाओं के लिए जन-अनुकूल समाधान मंचों का विकास और उनकी पहुंच का संवर्धन करना है। इस में चार घटक हैं, जैसे— टेली-विधि: वंचित तक पहुँच (सभी के लिए निःशुल्क वाद-पूर्व विधिक सलाह); न्याय बंधु (निःशुल्क विधिक सेवाएँ) कार्यक्रम; विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम; तथा विधि (समन्वित विधिक पहलों के एकीकृत क्रियान्वयन हेतु कल्पना)– संजीवनी।

स्कीम की प्रगति की निगरानी, नियमित समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय भ्रमणों, और क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष फीडबैक तथा समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के अलावा एक केंद्रीय एकीकृत डैशबोर्ड "विधि–संजीवनी" के माध्यम से परिकल्पित की गई है।
